# कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

## आदेश

01 नि./लि. को./26 – 01/2004

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मी, जिन्हें पूर्व में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP), 2010 के अन्तर्गत एम.ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृत किया गया है तथा जिन्होंने, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 6068 दिनांक 13.06.2013 के द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ACP), 2003 के तहत् वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु पात्रता अवधि दिनांक 31.12.2008 से दिनांक 12.07.2010 तक विस्तार किए जाने के फलस्वरूप, एम.ए.सी.पी. के स्थान पर ए.सी.पी. स्वीकृत करने हेतु आवेदन दिया है, को बिहार सरकार वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या– 4685 वि.(2), दिनांक 25.06.2003 द्वारा अधिसूचित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली–2003 तथा अधिसूचना संख्या 1802 दिनांक 23.03.2006 द्वारा संशोधन नियमावली–2006 के प्रावधानों अन्तर्गत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–3(ii) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से, पूर्व स्वीकृत एम.ए.सी.पी. के स्थान पर, निम्न अनुसार ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र. सं. | लिपिक का नाम | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि | अपुनरीक्षित वेतनमान 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतनमान पी.वी.–2 9300–34800 में ग्रेड वेतन – 4200) में प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | श्री अश्विनी कुमार | 01.03.77 | 03.07.97 | 03.07.09 | विभागीय आदेश ज्ञापांक 3793 दिनांक 28.08.13 द्वारा पूर्व निर्गत एम.ए.सी.पी. आदेश में श्री कुमार से सम्बन्धित अंश विलोपित समझे जाएंगे। |

2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित लिपिक के वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) में निहित प्रावधानों एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.10 की कंडिका–12 के अनुसार किया जाएगा। वेतन निर्धारण के पूर्व सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा सम्बन्धित लिपिक के मूल सेवापुस्त से वांछित नियमित सेवावधि, लेखा परीक्षा में अन्तिम स्तर (दोनों पत्रों में) से उत्तीर्णता एवं अन्य वांछित सूचनाओं की जाँच अपने स्तर से कर लिया जाएगा। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

3. उपरोक्त लिपिक को पूर्व में स्वीकृत एम.ए.सी.पी. के फलस्वरूप वेतन आदि मद में भुगतान किए गए अधिक राशि का समायोजन वर्त्तमान में स्वीकृत किये जा रहे ए.सी.पी. के फलस्वरूप भुगतेय बकाया अंतर वेतन की राशि से एक मुस्त कर लिया जाएगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नही देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

6. उपरोक्त कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी के प्रदत्त ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुस्त कर ली जाएगी जो उन्हें स्वीकार होगा।

7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–

**(विकास कुमार बरियार)**
सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5833 01 नि./लि. को./144 – 01/2011/पटना, दिनांक 24.07.17

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाढ़ अंचल, बाढ़/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./लिपिक कोषांग एवं सम्बन्धित लिपिक को अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।